## सार-समाचार

### फतहसागर का जलस्तर 9 फीट पहुंचा

उदयपुर,(कासं)। लेकसिटी की रौनक फतहसागर झील का जलस्तर 9 फीट के करीब पहुंच चुका है।उदयपुर संभाग में बारिश का दौर धीमा पड चुका है। जल संसाधन विभाग के अनुसार दो तरफा पानी की आवक बनी रहने से फतहसागर का जलस्तर 13 फीट के मुकाबले 8 फीट 9 इंच के पहुंच गया है। 24 घंटे में फतहसागर के जलस्तर में करीब एक फीट की बढोतरी हुई है। इधर पीछोला का जलस्तर साढे दस फीट 3 इंच है। फतहसागर का भरना मदार नहर और स्वरूप सागर लिंक नहर से हो रही आवक पर निर्भर है। पीछोला में सीसारमा से आवक जारी है जहाँ नदी का जल स्तर 2 फीट 9 इंच बना हुआ है । धीरे धीरे पानी की आवक बनी रहने से मदार छोटा तालाब के भी छलकने की उम्मीद है। कैचमेंट से आवक बनी रहने से ऋषभदेव क्षेत्र में स्थित सोमकागदर बांध पर अब डेढ फीट की चादर चल रही है। मदार बडा तालाब के छलकने का क्रम बना हुआ है। मादडी बांध के जलस्तर में करीब एक फीट की बढोतरी हुई है। रात भर में जयसमंद का गेज मामूली बढा है। हालांकि बारिश का क्रम टूटने से आकोदडा बांध,देवास प्रथम बांध और मानसी वाकल बांध का जलस्तर स्थिर हो गया है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर जिले के कोटडा, झाडोल और देवास में करीब तीन इंच बारिश हुई। सेमारी में ढाई इंच बारिश दर्ज हुई है। ओगणा 20, बावलवाडा में 48 मिलीमीटर बारिश हुई।

### मोबाइल लूटने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। गोवर्धन विलास थाना क्षैत्र में राहगिरों से मोबाईल लूटने वाले को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से मोबाईल बरामद किया। प्रकरण के अनुसार पीडित राजेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह निवासी कोटलिया पुला गोवर्धन विलास ने 14 जून को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी । जिसमें उसने बताया कि रात में टोल नाका से ड्यूटी कर वापस बाइक लेकर अपेन घर नेला लौट रहा था। जहां बीच रास्ते जोगी तालाब 200 फिट रोड़ के समीप बाइक सवार दो बदमाश पिछे से आए तथा मुझे रोक कर मारपीट की तथा मोबाईल व कनदी छिन ले गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक गजेन्द्रसिंह राव के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थानाधिकारी भवानीसिंह राजावत के नेतृत्व में गठित दल ने अनुसंधानमें मिले साक्ष्यों के आधार पर मानाराम पुत्र गोतिया निवासी सेमलातलाई लोड़ी माण्डवी थाना पारसोला प्रतापगढ को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से लूटा गया मोबाईल बरामद किया।

### दो आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। । फतहनगर थाना पुलिस ने चारपहिया वाहन चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार पीडित 1 सितंबर को पीडत भूपेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह निवासी पिपली चौक फतहनगर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि 28 अगस्त को मेरा पीकअप वाहन सर्विस के लिए गोरधन लाल बंजारा के वर्कशॉप पर खड़ा किया था। जिसे अज्ञात चोर चुरा ले गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के सुपरविजन में फतहनगर थानाधिकारी डीपी दाधिच के नेतृत्व में गठित दल ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर पूरणमल पुत्र भगवगानलाल निवासी नाडीया खेड़ी वल्लभनगर व गोवर्धन लाल पुत्र डालचंद निवासी वाड़ी थाना वल्लभनगर को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी किया पिकअप वाहन बरामद किया।

### वृद्ध की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के अम्बामाता थाना क्षैत्र में वृद्ध की बीमारी से मौत हो गई। अन्यत्र भुपालपुरा थाना क्षैत्र में वृद्ध की बीमारी से मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अम्बामाता थाना क्षैत्र ब्रम्हपोल स्थित अमृत रसूल बाबा दरगाह में रहने वाले भरतपुर थाना कुर्रा मिर्जापुर युपी निवासी भेरेखां (85) की बीमारी से मौत हो गई। एक वर्ष पूर्व भेरखां परिजनों को बिना बताए आया था। तब से दरगाह पर ही रहता था। 30 अगस्त को तबीयत खराब होने पर एमबी चिकित्सालय पहुंचाया। जहां उसकी मौत हो गई। इस पर परिजनों की तलाश क सोमवार को मृतक भेरेखां का पोस्टमार्टम करवा उस्के पुत्र आफताब को शव सौंप दिया। इस पर अंजुमन तालिमुल इस्माल कमेटी की मदद से मृतक का चेतक स्थित कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार करवाया।इसी तरह भुपालपुरा थाना क्षैत्र दर्शनपुरा निवासी प्रीतमसिंह (70) सरदार पुत्र नरेन्द्रसिंह की बीमारी से मौत हो गई। 30 अगस्त को तबीयत खराब होने पर परिजनों ने प्रितम को चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। जहां दो सितंबर को उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसआई देवीलाल ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

### ट्रक से शराब चोरी

उदयपुर, (कासं)। सरकारी गोदाम पर खाली करने आए ट्रक से चोर शराब चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित हेमराज पुत्र मालीराम गुर्जर निवासी चणदों थाना विराटनगर जयपुर ठाामीण ने गोवर्धन विलास पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि 27 अगस्त को अलवर सरकारी गोदाम से शराब लेकर 1 सितंबर को उदयपुर सेठजी की कुण्डाल स्थित सरकारी गोदाम खाली करने पहुंचा। जहां पंक्ति में ट्रक खड़ा कर विश्राम किया। दूसरे दिन पता चला कि तिरपाल काट कर चोर कर्टन चुरा ले गए। ट्रक से करीब 60 कर्टन शराब चोरी होने की संभावना है। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जिसकी जांच हेडकांस्टेबल अक्रम खां कर रहे है।

### नकदी व मोबाइल लूटा

उदयपुर, (कासं)। झाड़ोल थाना क्षैत्र में बाइक सवार बदमाश पीडित को धमका कर मोबाईल व नकदी लूट ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित निखिल पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ओड़ा ओगणा ने झाड़ोल पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 31 अगस्त को मैं झाड़ोल से घर लोट रहा था। जहां बीच रास्ते संगपुरा व खाकड़ के बीच बाइक लेकर आए तीन बदमाशों ने मुझे रोका तथा मारपीट कर मेरजी जेब से मेरा व ठााहकों के तीन मोबाईल तथा जेब से 4 हजार रूपये नकदी लूट ले गए। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जिसकी जांच एएसआई दिनेश कुमार कर रहे है।

### जेवर व नकदी चोरी

उदयपुर, (कासं)। शहर के सविना थाना क्षैत्र में स्थित सूने मकान से चोरी जेवर व नकदी चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलेसरी थाना हथूनिया प्रतापगढ हॉल सविना थाना क्षैत्र डाकन कोटड़ा निवासी अर्जुनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह सिसोदिया के सूने मकान का 31 अगस्त रात में अज्ञात चोर तालातोड़ कर दो सोने की अंगुठियां व 20 हजार रूपये नकदी चुरा ले गए। अर्जुनसिंह गत दिनों गांव गए थे।

# नगर निगम ने संभाली सफाई व घर-घर कचरा संग्रहण की कमान

नगर निगम परिसर से वाहनों को हरी झण्डी दिखाते विधायकगण एवं जिला कलक्टर।

उदयपुर,(कासं)। पर्यटन की दृष्टि से देश के सिरमौर शहरों में शामिल झीलों की नगरी उदयपुर अब स्वच्छता की राह में भी तेजी से आगे बढ़ेगी। उदयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार वाले इलाकों में बरसों से चल रही आ रही सफाई और घर-घर कचरा संग्रहण की समस्या के स्थाई समाधान को लेकर पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, शहर विधायक ताराचंद जैन व उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा की

■ राज्यपाल कटारिया के निर्देशों पर सफाई व्यवस्था में हुआ सुधार

पहल आखिरकार रंग लाई। राज्यपाल कटारिया के निर्देशों पर नगर निगम ने यूडीए क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की कमान संभाल ली है। सोमवार को नगर निगम परिसर से अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही यूडीए क्षेत्र के जोन 1 व 2 में घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारंभ हो गया। जोन 3 व 4 को लेकर भी टेण्डर प्रक्रियाधीन हैं तथा जल्द ही वहां पर भी सफाई व्यवस्था माकूल हो जाएगी।

उदयपुर शहर में नगर निगम के क्षेत्राधिकार वाले इलाकों में निगम की ओर से रोड सफाई से लेकर घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। तत्कालीन यूआईटी क्षेत्रों में कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी यूआईटी संभाल रहा था, लेकिन पर्याप्त संसाधनों के अभाव में कचरा संग्रहण कार्य की प्रभावी मोनिटरिंग नहीं होने से दिक्कतें आ रही थी। तत्कालीन समय में श्री गुलाबचंद कटारिया ने यूआईटी क्षेत्र में भी सफाई की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन और ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने भी इन प्रयासों को आगे बढ़ाया। जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन युआईटी और वर्तमान यूडीए क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति की जानकारी ली। इसके पश्चात यूडीए और नगर निगम के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लगातार बैठकें लेकर संपूर्ण उदयपुर शहर की सफाई व्यवस्था माकूल करने पर जोर दिया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की पहल पर आखिरकार नगर निगम ने यूडीए क्षेत्र की व्यवस्था भी अपने हाथ में लेने की सहमति दी। इसका भुगतान यूडीए की ओर से नगर निगम को किया जाना तय किया गया। युडीए क्षेत्र को 4 जोन में विभक्त करते हुए टेण्डर प्रक्रिया की गई। यूडीए जोन 1 व 2 की टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सोमवार से सफाई एवं घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारंभ हुआ। नगर निगम परिसर में सोमवार सुबह उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर गोविन्दसिंह टांक, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, निगम आयुक्त राम प्रकाश, उप महापौर पारस सिंघवी के आतिथ्य में कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान वेणीराम सालवी, मनोहर चौधरी, सीए आशीष कोठारी, छोगा लाल भोई, अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, नरेंद्र श्रीमाली, सुभाष चन्द्र शर्मा, लखन लाल बैरवा सहित जनप्रतिनिधि व नगर निगम अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रथम चरण में यूडीए के जोन-1 एवं 2 के 26 हजार से अधिक घरों से कचरा संग्रहण किया जाएगा। इसके लिए क्रमश: 22 तथा 24 ऑटो लगाए गए हैं। उक्त ऑटो जोन-1 के तहत सविना, वीडियो कॉलोनी, तितरड़ी, समता विहार, सर्वोदय नगर, गोवर्द्धनविलास, बलीचा, धौल की पाटी, ट्रांसपोर्टनगर, दक्षिण विस्तार, पन्नाधाय नगर व इंद्रानगर क्षेत्र तथा जोन-2 में मीरानगर द्वितीय, रेबारियों का गुड़ा, पुराना आरटीओ, नेशनल हाइवे-76, कृष्णा विहार, ढिंकली, कोचीनगर, पेसिफिक युनिवर्सिटी, देबारी, भैरवनगर, डांगियों की पंचौली, धौलामगरी, पुरोहितों की मादड़ी, कालाभाटा, मनवाखेड़ा आदि क्षेत्रों में घर-घर कचरा संग्रहण करेंगे।

# दस दिवसीय आवासीय लीडरशिप ट्रेनिंग शुरू

उदयपुर, (कासं)। सीमेट गोनेर (जयपुर) के आदेशों की अनुपालना में डाइट उदयपुर द्वारा राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की 10 दिवसीय आवासीय लीडरशिप ट्रेनिंग की शुक्रवार को शुरु हु। उदघाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए डाइट प्रधानाचार्य चंद्रशेखर जोशी ने प्रधानाचार्यों से नेतृत्व क्षमता विकसित करने के टिप्स सांझा किए। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य डॉ ओमप्रकाश शर्मा ने भी संबोधित किया। जिला संदर्भ इका के प्रभारी सुरेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि दस दिवसीय इस आवासीय प्रशिक्षण में उदयपुर, राजसमंद, झुंझुनूं तथा अन्य जिलों से कुल 50 प्रधानाचार्य भाग ले रहे हैं।


**पर्यावरण स्वीकृती सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण राजसमंद (राज.)के पत्र क्रमांक No.-F1/DEIAA/Mines/2016/1027 दिनांक 01/08/2016 द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह रावत, निकट ग्राम देवियों की मेड़ा, तहसील व जिला राजसमंद में, वास्ते खनिज क्वार्टज एवं फेल्सपार, खनन पट्टा संख्या 04/2005, क्षैत्रफल4.1700 हैक्टयर में 48,000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता से स्वीकृती प्रदान कि गई है। उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति की प्रति राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल (राज.) व सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध है। तथा इसे राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाईट www.rpcb.nic.in पर भी देखी जा सकती है।



**कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द ( राज. )**

Email:-np_ntd@yahoo.co.in,nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph.- 02953-233526

क्रमांक:न.पा.नाथ/भूमि/24/10661 **-:आपत्तीय विज्ञप्ती:-** दिनांक :

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका में राजस्व ग्राम उपली ओडन तहसील नाथद्वारा के खसरा नं.656 कुल रकबा 2.7316 हैक्टेयर में से 0.6948 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं उक्त बाबत संशोधन नियमों के अनुसार मास्टर प्लान में आरक्षित आवासीय उपयोग के स्थान पर पर्यटन इकाई (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ती हो तो वह व्यक्ति समाचार में प्रकाशित होने से 07 दिवस के अन्दर तक आपत्ती दर्ज करा सकता है। प्रस्तावित स्थल का विवरण निम्न सारणी अनुसार है। अवधि निकलने के पश्चात कोई आपत्ती मान्य नहीं होगी।

| क्र. सं. | नाम व्यक्ति/संस्था का नाम | वर्तमान भू-उपयोग | चाहा गया भू उपयोग परिवर्तन | प्रस्तावित स्थल का विवरण सीमाएं पूर्व | पश्चिम | उत्तर | दक्षिण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीनाथ सोलिटेयर इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड जरिये निदेशक श्री प्रकाशचन्द्र काबरा पिता स्व.श्री मदन लाल काबरा निवासी लालबाग, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद | आवासीय | पर्यटन इकाई (होटल) | अन्य भूमि व प्रस्तावित 18 मीटर रोड़ | अन्य भूमि आ.न. 657, 931 | एन.एच 08 चारलेन | अन्य भूमि आ.न. 931 |

**आयुक्त , नगर पालिका नाथद्वारा**



प्रारूप-10 ( नियम-6 ( 7 ) देखिए )

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा**

सं./न.पा.नाथ/90क/24/10686 दिनांक :2/9/2024

**लोक-सूचना**

श्री प्रकाशचन्द्र काबरा पिता स्व.श्री मदनलाल काबरा निवासी लालबाग, नाथद्वारा जिला -राजसमन्द ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

| जिले सहित तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| नाथद्वारा जिला-राजसमन्द | भलावतों का खेड़ा | 254 | रकबा 0.3190 हैक्टर |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 2/9/2024 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा**



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank THE BANK WITH A VISION

**छोटी सादड़ी शाखा, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान**
ई-मेल: csdptg@barodarajasthanrrb.co.in

**प्रतिभूतिहित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8( 1 ) देखें]**
**कब्जा सूचना ( अचल सम्पत्तियों के लिए )**

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( 2002 का अधिनियम संख्यांक 54 ) के अंतर्गत और धारा 13( 12 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **श्री भैरूलाल टांक पुत्र श्री वरदी चंद टांक एवं जमानतदार श्री कमलेश टांक पुत्र श्री भैरूलाल टांक एवं श्रीमती मधु टांक पत्नी श्री पारसमल टांक** पर मांग सूचना **दिनांक 15.06.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 15.06.2024 को बकाया राशि रू. 11,15,000/- ( रूपये ग्यारह लाख पन्द्रह हजार मात्र ) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 29, माह अगस्त, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13( 4 ) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 15.06.2024 को बकाया राशि रू. 11,15,000/- ( रूपये ग्यारह लाख पन्द्रह हजार मात्र ) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटी सादड़ी शाखा, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13( 8 ) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**अचल सम्पत्तियों का वर्णन**

सम्पत्ति 1- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री कमलेश टांक पुत्र श्री भैरूलाल टांक के नाम आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. सी-01, आराजी नं. 523 मिन, 523/1186 के हिस्से में प्लॉट, यशोधरा कॉलोनी, ग्राम बागवास, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1150 वर्ग फीट ( 23 x 50 ) है। सीमाएं- उत्तर: कॉलोनी पार्क, दक्षिण: प्लॉट नं. सी-04, पूर्व: प्लॉट नं. सी-02, पश्चिम: कॉलोनी रोड 30 फीट

सम्पत्ति 2- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती मधु टांक पत्नी श्री पारसमल टांक के नाम आवासीय सम्पत्ति ब्लॉक नं. ए, प्लॉट नं. ए-12 एवं ए-13 जो यशोधरा नगर, ग्राम बागवास, तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: प्लॉट नं. ए-09 एवं 10, दक्षिण:40 फीट कॉलोनी रोड, पूर्व: प्लॉट नं. ए-11, पश्चिम: प्लॉट नं. ए-14

दिनांक: 29.08.2024 हस्ता.
स्थान: प्रतापगढ़ प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबन्धक


## आवेदन पॉर्टल शुरू

उदयपुर, (कासं)। राष्ट्रीय निगम की विभिन्न योजनाओं में आवेदन के लिए ऑनलाइन पोटल शुरू हो चुका है। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक मान्धाता सिंह ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग एवं राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते है। योजना में लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण, महिला समृद्धि योजना शिक्षा ऋण योजना, डेयरी, जीप, ऑटो रिक्शा ई रिक्शा इत्यादि के लिये आवेदन किये जा सकेंगें।

# लाखों की नकदी हडपने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने असली भूखण्ड मालिक के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को डमी मालिक को खड़ा कर भूखण्ड बेच कर पीडित से लाखों की नकदी हडपने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक गजेन्द्रसिंह राव के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थानाधिकारी भवानीसिंह राजावत के नेतृत्व में गठित दल ने थाने के प्रकरण संख्या 79/ 2024 धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी दामोदर नागदा पुत्र भीमशंकर नागदा निवासी सेक्टर 11 रामसिंह जी की बाड़ी सविना, प्रवीण पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी मयूर काम्प्लेक्स हिरणमगरी सेक्टर 4, शाहिद उर्फ कालु उर्फ राजा पुत्र चांद मोहम्मद निवासी रजा कॉलोनी सेक्टर 9 सविना को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार 7 फरवरी 2024 को पीडिता वन्दना पत्नी रामकुमार गोयल निवासी प्रभातनगर हिरणमगरी सेक्टर 5 हॉल क्राउन बिल्डिंग सेक्टर 8 चार कोप कांदी वली वेस्ट मुम्बई ने पुलिस थानेमें प्ररकण दर्ज करवाया था। जिसमें पडिता ने बताया कि 1995 में शहर आई थी।

सेक्टर 14 में भूखण्ड खरीदा था। कुछ बदमाशों ने भूखण्ड को अपना बता कर हरकलाल पुत्र खेमराज जैन निवासी अशोका अपार्टमेंट नियर श्रद्वानंद रोड़ नवीन ठक्कर विलेपार्ले मुम्बई के पक्ष में फर्जी रजिस्ट्री करवा कर पट्टा जारी करवा दिया। कुछ समय बाद भूखंड पर साफ सफाई करने के दौरान पडताल की तो अज्ञात बदमाशों ने हरकलाल जैन को बेचने की जानकारी सामने आई।

# तीन बच्चों व मां का मोतियाबिंद ऑपरेशन कर दिलाई रोशनी

एक ही परिवार के तीन बच्चों और उनकी मां को जन्मजात मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया।

उदयपुर, (कासं)। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल के नेत्र रोग विभाग ने जन्मजात मोतियाबिंद (कंजेनाइटल कैटरेक्ट) से पीड़ित एक ही परिवार के तीन बच्चों और उनकी मां का नि:शुल्क ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटाई। यह मामला विशेष था क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक ही बीमारी से प्रभावित थे। दरअसल पीएमसीएच की ओर से सोहरती गाँव में आयोजित नि:शुल्क चिकित्सा जांच और परामर्श शिविर के दौरान इस परिवार के तीन बच्चों और उनकी मां को आंखों से कम दिखने की समस्या के चलते प्रारंभिक जॉच के दौरान मोतियाबिंद की समस्या का पता चला, जिसके बाद मरीजों को पीएमसीएच में विशेष जॉच के लिए भेजा गया। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल में अत्याधुनिक एडवांस मशीनों का उपयोग करके इन मरीजों की जॉच की गई। जिसमे सभी मरीजों को जन्मजात मोतियाबिंद की समस्या का पता चला जिसका की ऑपरेशन द्वारा ही इलाज सम्भव था।

नेत्र रोग विभाग की पूरी टीम ने इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस सफल ऑपरेशन में नेत्र रोग विभाग के सर्जन डॉ. राजेंद्र चौधरी, डॉ. सलोनी, डॉ. सागर, डॉ. सुभाष, डॉ. आकांशा, डॉ.निष्ठा और निश्चेतना विभाग के डॉ.प्रकाश ओदिच्य, डॉ. स्वाति, डॉ.दिवेश,हरीश और हीरा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।


**उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर ( राज. )**

NO.:F.15( )Hudco/2024/196 Date :02.09.2024

**आम-सूचना**

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भीमा राम S/O श्री तेजा राम ने न्यास की हुडकों शाखा में दिनांक 21.08.2024 को क्वार्टर संख्या 255 भूवाणा योजना उदयपुर (राज) की लीज डीड जारी कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस बाबत् किसी को कोई उजर या एतराज हो तो अन्दर मयाद 7 दिवस में न्यास कार्यालय में मय दस्तावेज लिखित मे प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मयाद गुजरने उक्त क्वार्टर का न्यास आलेखों में श्री भीमा राम S/O श्री तेजा राम के नाम पर लीज डीड जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

**प्रभारी अधिकारी**
**हुडको शाखा**
**उदयपुर विकास प्राधिकरण,उदयपुर**



AU SMALL FINANCE BANK

**Registered Office :** 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001.
**www.aubank.in**

**LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS**

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on **09 Sep 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time)** at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

**E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)**

**JAIPUR - QUEENS ROAD** - 23660001328105 | **JAIPUR-TRIVENI NAGAR** - 23660002088468 | **JODHPUR ITI CIRCLE** - 23660001006012 23660002165553 | **KOTA -GHODE WALA CIRCLE** - 23660002103562 23660002103982 23660002111166 23660002181333 | **NOKHA** - 24660000212449 | **RATANGARH** - 23660002110518 | **SAGWARA** - 23660002098909 23660002117965 | **UDAIPUR - MADHUBAN** - 23660000865341 |

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

Sd/-
Manager
AU Small Finance Bank Limited


## बीएन में खेल दिवस का आयोजन

उदयपुर, (कासं)। भूपाल नोबल्स विवि के प्रबंध संकाय द्वारा ओरिएंटेशन सप्ताह के पांचवे दिन स्पोर्टी सटरडे का आयोजन किया गया।

खेल कूद प्रतियोगिता के अंतर्गत कुर्सी दौडजलेबी दौड, फ्राग रेस, गुब्बारा दौड, लेमन स्पून रेस, शू रेस, सवेटर रेस जेसे विभिन्न खेलों का आयोजन किया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिता एवं खेल स्पर्धाएं संपन्न हुई। जिसमें बीबीए एवं एमबीए के करीब 300० विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ओरिएंटेशन सप्ताह के सफलतापूर्वक आयोजन पर बीएन संस्थान व विद्या प्रचारिणी सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ एसएस सारंगदेवोत, सचिव डॉ महेंद्र सिंह आगरिया एवं प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह राठौड ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई प्रेषित की।

# शासन सचिव कुणाल ने संगठन की समस्याएं जानी

उदयपुर, (कासं)। चेतक सर्कल स्थित हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य के मुख्यालय पर शासन सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल रविवार को निरीक्षण करने पहुंचे। जहां पर उनकी अगुवाई राज्य सचिव नरेंद्र औदिच्य , सहायक राज्य सचिव समन्वयक विजय दाधीच विजय दाधीच,राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट )रिपुदमन गिल, राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) कविता जैन , राज्य प्रशिक्षण आयुक्त प्रदीप मेघवाल, संभाग आयुक्त गोपाल मेहता मेनारिया, एएसओसी विशाल सेन, जिला ऑर्गेनाइजेशन शांता वैष्णव , जिला ट्रेनिंग काउंसलर गाइड अनुराधा सोलंकी कनिष्ठ लेखाकार पवन राठौड सहित कार्यालय स्टाफ ने की। स्काउट गाइड की ओर से उन्हें गार्ड

■ शासन सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल पहुंचे हिंदुस्तान स्काउट व गाइड के राज्य मुख्यालय

ऑफ ऑनर दिया गया। कुणाल ने हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड द्वारा विभिन्न जिलों में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के राज्य सचिव नरेंद्र औदिच्य ने बताया कि शासन सचिव को संगठन की विभिन्न समस्याएं बताई गई। जिसमें मुख्य रूप से स्काउट के बडे कार्यालय के लिए नए भवन की मांग ,शिविर आयोजित करने के लिए जमीन अलॉटमेंट की मांग भी रखी गई। जिस पर शासन सचिव ने उचित एवं शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

अतिथियों के आगमन पर स्काउट गाइड अधिकारियों , कार्यालय स्टाफ एवं स्काउटस गाइडस द्वारा भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। कुणाल राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शामिल होने शनिवार को ही उदयपुर पहुंच चुके थे । आज रविवार को कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 3 बजे सीधे हिंदुस्तान स्काउट के राज्य मुख्यालय पहुंचे। शनिवार को भी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट, सहायक निदेशक रामचंद्र गिंटाला,सहायक निदेशक इंदु मेहता, मीनाक्षी तंवर, दिलीप परिहार एवं मोहन सिंहाग सहित 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान स्काउट के राज्य मुख्यालय आया था।


**कार्यालय नगर निगम, उदयपुर ( राज. )**

क्रमांक:-प्रन्यास-I/2024-25/361
दिनांक:29.8.2024
ऑनलाईन क्रमांक-96505

**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है भूखण्ड संख्या 9-ए योजना सुरजपोल उदियापोल, उदयपुर में स्थित है जिसका आकार 490.31 वर्गफीट है। इस भूखण्ड को प्रार्थीगण श्री कमलेश मानावत पिता श्री कालूलाल मानावत व सुमित्रा मानावत पत्नी श्री कमलेश मानावत निवासी 11, बोर्दीया स्ट्रीट मोती चौट्टा, उदयपुर ने अपने नाम पर नामान्तरण जारी करने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया है।

पूर्व में उक्त भूखण्ड नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के द्वारा दिनांक 24.12.1969 को आवंटन किया गया। उक्त भूखण्ड वर्तमान में श्री हरमिन्दर सिंह पिता श्री अमरीक सिंह के नाम आलेख में दर्ज है।

प्रार्थीगण ने उक्त भूखण्ड पहचान पत्र, स्व:घोषणा पत्र, बटवारा पत्र, त्याग पत्र रजि.दान पत्र, लीज डीड एवं रजि. विक्रय पत्र के दस्तावेजों के आधार पर द्वारा अपने नाम पर नामान्तरण चाहा जा रहा है।

अत: समस्त आम-खास को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण के नाम करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन से 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय में लिखित में प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्रन्यास शाखा में प्रस्तुत करें, बाद समाप्त अवधि नामान्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी। सूचित रहे ।

आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर



**कार्यालय ग्राम पंचायत, मादड़ी**
**पं.सं. फलासिया,जिला-उदयपुर ( राज. )**

क्रमांक: ग्रा.पं./2024-25/SPL-01 दिनांक-01.09.24

**ई निविदा ( निविदा सूचना संख्या/2024-25 )**

ग्राम पंचायत मादड़ी में ग्राम पंचायत के लिये महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो के हेतु सामग्री उपापन की निविदाऐं दिनांक 02/09/2024 से प्रात: 8.00 बजे से दिनांक 12/09/2024 सांय 6.00 बजे तक आमंत्रित कि जाती है।

निविदा सूचना व पंचायत वार विवरण तथा विस्तृत शर्ते एवं पूर्ण विवरण वेब साईड sppp.rajasthan.gov.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN N0 -2024_PRD_416393_1

**सरपंच** ग्राम पंचायत मादड़ी पंचायत समिति फलासिया
**ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत मादड़ी पंचायत समिति फलासिया